

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ०प्र० सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ-226008

वेबसाइट: hajcommittee.up.gov.in ; ई-मेल : hajcommittee.up@gmail.com

पत्रांक: जी-11/596/एस.एच.सी/2025

दिनांक : 01/02/2025

—: प्रेस विज्ञप्ति :-

हज कमेटी आफ इण्डिया के सकुर्लर-28 दिनांक 01 फरवरी, 2025 में हज-2025 के सभी चयनित हज यात्रियों को अपना मूल अर्न्तराष्ट्रीय पासपोर्ट उ०प्र० राज्य हज समिति में अन्तिम तिथि 18 फरवरी, 2025 तक जमा करने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गये हैं कि अर्न्तराष्ट्रीय पासपोर्ट की वैद्यता, पासपोर्ट की दशा सही हो, पासपोर्ट किसी प्रकार से फटा/कटा या पृष्ठ ढीले न हों, किसी प्रकार के पानी व अन्य धब्बे न हों, कम से कम एक साथ दो पृष्ठ खाली हों। यदि ऐसा नहीं है तो राज्य हज समिति में उक्त पासपोर्ट रिकार्ड हेतु जमा कर सूचित करें व नये पासपोर्ट हेतु तत्काल आवेदन कर 18 फरवरी, 2025 तक नया पासपोर्ट कार्यालय में जमा करें। यदि किसी का पासपोर्ट उपरोक्तानुसार सही नहीं पाया गया तो इसे हज यात्री को वापस कर दिया जाएगा और पुनः नया पासपोर्ट बनवाकर 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।

(एस.पी.तिवारी)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र०।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज।
3. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र० शासन।
4. निदेशक, उ०प्र० अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
6. समस्त ई-सुविधा केन्द्र, समस्त प्रशिक्षक, उ०प्र०।
7. जिला सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।

9

(एस.पी.तिवारी)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी